

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

वेबसाइट- www.lsg.urbana.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/ फॉक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : एफ.55 (29) Engg/CE/DLB/ESCO/2017/ 15843

दिनांक : 1-12-2017

-:: स्वीकृति आदेश ::-

विषय : ऊर्जा संरक्षण कार्यो के तहत विभिन्न फर्मो द्वारा किये गये कार्य के भुगतान हेतु नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

राज्य के नगर निगमों में कार्य कर रही विभिन्न फर्मो को भुगतान हेतु राशि रुपये 2007.17 लाख (अक्षरे रुपये बीस करोड़ सात लाख सतरह हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये संबंधित निगमों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

Sr. No.	Treasury Office	Name of Nigam	Name of Firm	माँग संख्या 29 बजट शीर्ष 2217-80- 191-(29)-[01]-12 प्रतिबद्ध (राज्य निधि)
1	2	3	4	5
1	Jaipur City (1108)	Jaipur	Efficient Illumination Private Limited	1144.29
2	Jodhpur City (1117)	Jodhpur	Energy Efficiency Services Limited	516.75
3	Ajmer (1091)	Ajmer	Energy Efficiency Services Limited	346.13
	Total			2007.17

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 17/701250 दिनांक 28.11.2017 के क्रम में जारी की गई है।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 1-12-17

क्रमांक : एफ.55 (29) Engg/CE/DLB/ESCO/2017/ 15844-66
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. शासन सचिव (बजट)/आयोजना, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि सम्बन्धित नगर निगमों को स्वीकृत अनुदान राशि उनके निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति जारी करने हेतु।
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), जयपुर।
8. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता निदेशालय।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि बिलों की नियमानुसार जांच, बिलों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने, बिलों के प्रमाणीकरण एवं एमओयू के अनुसार होने की सुनिश्चिता की जावे।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर (शहर), जोधपुर (शहर) एवं अजमेर।
12. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
13. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/अजमेर को भेजकर लेख है कि बिलों की नियमानुसार जांच, बिलों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने, बिलों के प्रमाणीकरण एवं एमओयू की शर्तों की पूर्ति होने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जावे।
14. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
15. प्रभारी वेबसाइट/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
16. मैसर्स Efficient Illumination Private Limited, Thane (W) Maharashtra.
17. मैसर्स Energy Efficiency Services Limited, New Delhi.
18. सुरक्षित पत्रावली।


(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(²³¹) (वित्त-1)(1)आय व्ययक / 2016 /
कोषाधिकारी,
जयपुर शहर, जोधपुर शहर,
अजमेर।

दिनांक : 6 दिसम्बर, 2017

(स्वीकृति संख्या 513 / 2017-18)

विषय : नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ.55(29)Engg/CE/DLB/ESCO/2017/19843-66 दिनांक 01.12.2017 (प्रति संलग्न) के क्रम में संबंधित नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में राशि रूपये 2007.17 लाख (अक्षरे रूपये बीस करोड़ सात लाख सतरह हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए हस्तांतरित कर दी जावें :-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

(29) - सार्वजनिक रोशनी

[01] - विद्युत बिलों का भुगतान प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) -

राशि रूपये 2007.17 लाख

उक्त राशि का आहरण नियमानुसार संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय



(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-1 राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
06. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)